



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 4—जनवरी 10, 2015, शनिवार/पौष 14—पौष 20, 1936
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 4—JANUARY 10, 2015, SATURDAY/PAUSA 14—PAUSA 20, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 2.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभागीय कैटीन में सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी, लिपिक, हलवाई-सह-रसोइया, सहायक हलवाई-सह-रसोइया, कैटीन परिचर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विभागीय कैटीन, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(11)

where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filing up of post

[F.No.1-28/2014-Extn. (RRs)]

R. S. VERMA, Under Secy. (Extn.)

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 8.—कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यकी विभाग दिनांक 22 जुलाई, 2013 के अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद में भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 27 जुलाई, 2013 को सा.का.नि. संख्या 185 के अधीन पृष्ठ 1063-1066 तक कृषि मंत्रालय, केन्द्रीय मात्स्यकी, नौचालन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन से संबंधित है। वरिष्ठ अनुदेशक (प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 2013 के अनुसूची में, कॉलम (12) के "समूह 'क' विभागीय समिति के प्रारंभिक शीर्ष में (स्थायीकरण होने पर विचार करना)" "स्थायीकरण" शब्द को "पदोन्नति" शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. 3-6/2008-मा. प्रशा.]

योगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th January, 2015

G.S.R. 8.—In the English version of the Notification dated 22nd July, 2013 of Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) on dated 27th July, 2013 under G.S.R. No. 185 at pages 1063-1066 relating to Ministry of Agriculture, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Senior Instructor (Training) Recruitment Rules, 2013, in Schedule, under column (12), in the initial heading "Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of", the word "confirmation" shall be substituted with the word "promotion".

[F. No. 3-6/2008-Fy Admn]

YOGINDER KUMAR, Under Secy.